(82)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक [redacted]–पीबीआर/16 पुनरावलोकन

R-4044-PBR/16

पानबाई पुत्री स्व.श्री हल्कू

पत्नी स्व.श्री भारत सिंह दांगी

निवासी ग्राम बागोद सेवासनी

तहसील एवं जिला–रायसेन

विरूद्व

1. **श्रीमती मिन्दाबाई पत्नी रामरतन**
2. **लाल सिंह आत्मज रामरतन**
3. **भगवान सिंह आत्मज हरिकिशन**
4. **मुल्लू उर्फ मर्दन सिंह आत्मज हरिकिशन**
5. **कोमलबाई पुत्री हरिकिशन**
6. **थान सिंह आत्मज स्व.श्री दिलीप सिंह**
7. **टीकाराम आत्मज स्व.श्री दिलीप सिंह**
8. **सियाबाई पुत्री स्व.श्री दिलीप सिंह**

निवासीगण ग्राम बागोद सेवासनी

तहसील एवं जिला–रायसेन

श्री मुकेश ... ने आज 2-12-16 को प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
2-12-16

अध्यक्ष मनोज गोयल द्वारा प्रकरण क्रमांक 2644–पीबीआर/14 में पारित आदेश दिनांक 28/07/2016 के विरूद्व पुनरावलोकन अंतर्गत धारा–51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करती है–

1. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में ऐसी त्रुटि हुयी है जो आदेश के पुनरावलोकन के लिये पर्याप्त आधार उपलब्ध करती है।

2. यह कि, आवेदक द्वारा संहिता की धारा–170 (क) अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आधार पर आवेदन दिया गया था कि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग की है उसने अपनी भूमि अनावेदको को कभी विक्रय नहीं की मात्र गिरवी रखी थी अनावेदको ने

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु ~~1233~~ 1047 –पीबीआर/16 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–2–2017	आवेदिका विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28–7–16 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2644–पीबीआर/14 में पारित आदेश दिनांक 28–7–16 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	